



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11062022-236487
CG-DL-W-11062022-236487

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, जून 5—जून 11, 2022, शनिवार/ज्येष्ठ 15—ज्येष्ठ 21, 1944

No. 12]

NEW DELHI, JUNE 5—JUNE 11, 2022, SATURDAY/JYAISTHA 15—JYAISTHA 21, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 76.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 10- रक्सौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-10)रक्सौल-46 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, जो बिहार के 10- रक्सौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के राष्ट्र सेवा दल के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, द्वारा दिये गये पते पर उनके भाई के द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 99/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 113/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 10- रक्सौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार राष्ट्र सेवा दल, के अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम- फुलवार गम्हरिया, पोस्ट ऑफिस- फुलवार, थाना- बंजरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/10/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,
कुमार राजीव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 76.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **10-Raxual** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-10)Raxual-46, dated 04 January, 2021, **Shri Devendar Kumar Singh** a contesting candidate of **Rashtra Seva Dal** of Bihar from **10-Raxual** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Devendar Kumar Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Devendar Kumar Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his brother on 17th July, 2021, at the address given by **Shri Devendar Kumar Singh**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 99/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.113/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Devendar Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Devendar Kumar Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Devendar Kumar Singh**, resident of **Village- Gamhariya, PO -Phulwar, Police station - Banjariya, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Rashtra Seva Dal**, Bihar in **10-Raxual** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/10/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 77.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 10— रक्सौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-10)रक्सौल-46 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उमंग कुमार गुप्ता जो बिहार के 10— रक्सौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (जय महाभारत पार्टी) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए उमंग कुमार गुप्ता, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए उमंग कुमार गुप्ता, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस उमंग कुमार गुप्ता, द्वारा दिये गये पते पर उनके चचेरा भाई से दिनांक 17 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 99/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 113/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उमंग कुमार गुप्ता, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि उमंग कुमार गुप्ता, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **10- रक्सौल** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार जय महाभारत पार्टी के अभ्यर्थी **उमंग कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम+पो0-रक्सौल, वार्ड नं 12, थाना- रक्सौल, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/10/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 77.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **10-Raxual** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-10)Raxual-46, dated 04 January, 2021, **Shri Umang Kumar Gupta** a contesting candidate of **Jay Mahabharat Party** of Bihar from **10-Raxual** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Umang Kumar Gupta**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Umang Kumar Gupta** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his cousin brother on 17th July, 2021, at the address given by **Shri Umang Kumar Gupta**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 99/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.113/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Umang Kumar Gupta**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Umang Kumar Gupta**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Umang Kumar Gupta**, resident of **Village+Post-Raxaul, Ward no. 12, Gamhariya, Police station - Raxaul, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Jay Mahabharat Party**, Bihar in **10-Raxaul** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/10/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 78.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 11—सुगौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 11 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-11)सुगौली-287 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीमती आशा देवी** जो बिहार के **11—सुगौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (**हिन्दु समाज पार्टी**) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती आशा देवी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्रीमती आशा देवी**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती आशा देवी, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 100/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 114/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती आशा देवी, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती आशा देवी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **11- सुगौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार हिन्दु समाज पार्टी के अभ्यर्थी श्रीमती आशा देवी, निवासी ग्राम-रघुनाथपुर थाना- दुरकौलिया, पोस्ट- मोतीहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/11/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 78.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **11-Sugauli** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-11) Sugauli-287, dated 11 January, 2021, **Smt. Aasha Devi**, a contesting candidate of **Hindu Samaj party** of Bihar from **11-Sugauli** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, East Champaran, Bihar** and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Aasha Devi**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Smt. Aasha Devi** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 17th July, 2021, at the address given by **Smt. Aasha Devi**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 100/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.114/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Smt. Aasha Devi**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Aasha Devi**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i . has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Aasha Devi**, resident of **Village- Raghunathpur, Post - Motihari, Police station - Turkauliya, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Hindu Samaj Party Bihar** in **11-Sugauli** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/11/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 79.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-12)नरकटिया-47 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री मनीष कुमार** जो बिहार के **12- नरकटिया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मनीष कुमार, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मनीष कुमार, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मनीष कुमार, द्वारा दिये गये पते पर उनके भतीजे द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 101/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मनीष कुमार, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनीष कुमार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री मनीष कुमार, निवासी ग्राम+पोस्ट-जुआफर, भाया- चाअऊरादानो, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/12/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 79.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **12-Narkatiya** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-12)Narkatiya-47, dated 04 January, 2021, **Shri Manish Kumar**, a contesting candidate of **Independent** of Bihar from **12-Narkatiya** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Manish Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Manish Kumar** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his nephew on 15th July, 2021, at the address given by **Shri Manish Kumar**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 101/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Manish Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Manish Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *.has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Manish Kumar**, resident of **Village+Post- Juaafar, Vaya-Chauradano, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Independent**, Bihar in **12-Narkatiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/12/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 80.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-12)नरकटिया-47 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विदयानन्द प्रसाद जो बिहार के 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विदयानन्द प्रसाद, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विदयानन्द प्रसाद, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विदयानन्द प्रसाद, द्वारा दिये गये पते पर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 101/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विदयानन्द प्रसाद, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विदयानन्द प्रसाद, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री विदयानन्द प्रसाद, निवासी ग्राम+पोस्ट-कुदरकट, भाया- चाऊरादानो, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए

संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/12/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 80.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **12-Narkatiya** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-12)Narkatiya-47, dated 04 January, 2021, **Shri Vidyanand Prasad**, a contesting candidate of **Independent** of Bihar from **12-Narkatiya** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Vidyanand Prasad**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Vidyanand Prasad**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his candidate on 15th July, 2021, at the address given by **Shri Vidyanand Prasad**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 101/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Vidyanand Prasad**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Vidyanand Prasad**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i . has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Vidyanand Prasad**, resident of **Village+Post- Kudarkat, Vaya- Chauradano, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the

Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Independent**, Bihar in **12-Narkatiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/12/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 81.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 16— कल्याणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-16)कल्याणपुर-45 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सत्यम यादव** जो बिहार के **16— कल्याणपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सत्यम यादव**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सत्यम यादव** को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री सत्यम यादव**, द्वारा दिये गये पते पर उनके पिता जी से दिनांक 14 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 117/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 103/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सत्यम यादव**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सत्यम यादव**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

1. **अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **16- कल्याणपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार **जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)** के अभ्यर्थी **श्री सत्यम यादव**, निवासी ग्राम- **यमुनापुर**, थाना- **कल्याणपुर**, पोस्ट ऑफिस- **सिसवा पटना**, जिला- **पूर्वी चम्पारण**, **बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/16/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 81.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **16-Kalyanpur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-16)Kalyanpur-45, dated 04 January, 2021, **Shri Satyam Yadav**, a contesting candidate of **Jan Adhikar Party (Loktantrik)** of Bihar from **16-Kalyanpur** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Satyam Yadav**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Satyam Yadav** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his father on 14th July, 2021, at the address given by **Shri Satyam Yadav**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 117/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, East Champaran, in his Supplementary Report, vide its letter No.103/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Satyam Yadav,** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Satyam Yadav,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE,** in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satyam Yadav,** resident of **Village- Yamunapur, PO – Siswa Patna, Police Station - Kalyanpur, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Jan Adhikar Party (Loktantrik), Bihar in 16-Narkatiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/16/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 82.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 20— चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण,** बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 11 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-20)चिरैया-293 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री भूषण शाह** जो बिहार के **20— चिरैया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **फौजी किसान पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण,** बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री भूषण शाह, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री भूषण शाह, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री भूषण शाह, द्वारा दिये गये पते पर उनके भाई के द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 106/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 120/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री भूषण शाह, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भूषण शाह, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **20- चिरैया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार **फौजी किसान पार्टी** के अभ्यर्थी श्री भूषण शाह, निवासी **ग्राम+डाकघर- खरतारी, थाना- चिरैया, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/20/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 82.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **20-Chiraiya** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-20)Chiraiya-293, dated 11 January, 2021, **Shri Bhushan Shah**, a contesting candidate of **Fouji Kisan Party** of Bihar from **20-Chiraiya** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Bhushan Shah**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Bhushan Shah** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his brother on 18th July, 2021, at the address given by **Shri Bhushan Shah**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 106/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.120/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Bhushan Shah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Bhushan Shah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Bhushan Shah**, resident of **Village and Post - Khartari, Police station - Chiraiya, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Fouji Kisan Party**, Bihar in **20-Chiraiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/20/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 83.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 20— चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 11 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-20)चिरैया-293 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राज वंशी महतो जो बिहार के 20— चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राज वंशी महतो, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राज वंशी महतो, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राज वंशी महतो, द्वारा दिये गये पते पर ग्रामीण से पूछने पर यहाँ नहीं रहने के कारण कार्यालय परिचारी द्वारा उसके घर पर नोटिस दिनांक 18 जुलाई, 2021 को चिपका दिया गया। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 106/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 120/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राज वंशी महतो, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राज वंशी महतो, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 20— चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री राज वंशी महतो, निवासी ग्राम- रतनसायर,

डाकघर- नोनफरवा, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/20/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 83.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **20-Chiraiya** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-20) Chiraiya-293, dated 11 January, 2021, **Shri Raj Vanshi Mahto**, a contesting candidate of **Independent** of Bihar from **20-Chiraiya** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Raj Vanshi Mahto**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Raj Vanshi Mahto** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, The notice was pasted on 18.07.2021 at his house by the office attendant on asking the villager at the address given by **Shri. Raj Vanshi Mahto** for not staying here. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 106/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.120/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Raj Vanshi Mahto**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Raj Vanshi Mahto**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Raj Vanshi Mahto**, resident of **Village- Ratansayar, PO - Nonforwa, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Independent**, Bihar in **20-Chiraiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/20/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 84.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन ०/64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 20- चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 11 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-20)चिरैया-293 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री संजय कुमार यादव**, जो बिहार के **20- चिरैया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री संजय कुमार यादव**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री संजय कुमार यादव**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री संजय कुमार यादव**, द्वारा दिये गये पते पर उनके भाई के द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 106/जिला० निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 120/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री संजय कुमार यादव**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत

निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री संजय कुमार यादव**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **20- चिरैया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी **श्री संजय कुमार यादव**, निवासी ग्राम- भेरियाही, डाकघर- खरतारा, थाना- चिरैया, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/20/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 84.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **20-Chiraiya** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-20)Chiraiya-293, dated 11 January, 2021, **Shri Sanjay Kumar Yadav**, a contesting candidate of **Independent** of Bihar from **20-Chiraiya** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Sanjay Kumar Yadav**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Sanjay Kumar Yadav** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his brother on 18th July, 2021, at the address given by **Shri SanJay Kumar Yadav**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 106/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.120/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri SanJay Kumar Yadav**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Sanjay Kumar Yadav**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i . has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sanjay Kumar Yadav**, resident of **Village- Bheriyahe, PO - Khartara, Police station - Chiraiya, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Independent**, Bihar in **20-Chiraiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/20/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 85.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 20— चिरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 11 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-20)चिरैया-293 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सुधीर कुमार सिंह** जो बिहार के **20— चिरैया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **भारतीय आम जनता विकास पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुधीर कुमार सिंह, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुधीर कुमार सिंह, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुधीर कुमार सिंह, द्वारा दिये गये पते पर उनकी माँ के द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 106/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 120/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुधीर कुमार सिंह, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुधीर कुमार सिंह, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **20- चिरैया** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार भारतीय आम जनता विकास पार्टी के अभ्यर्थी श्री सुधीर कुमार सिंह, निवासी ग्राम+डाकघर- बखारी, थाना- पटाही, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/20/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 85.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **20-Chiraiya** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-20)Chiraiya-293, dated 11 January, 2021, **Shri Sudhir Kumar Singh**, a contesting candidate of **Bhartiya Aam Vikash Party** of Bihar from **20-Chiraiya** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Sudhir Kumar Singh**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Sudhir Kumar Singh** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his Mother on 18th July, 2021, at the address given by **Shri Sudhir Kumar Singh**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 106/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.120/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Sudhir Kumar Singh**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Sudhir Kumar Singh**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sudhir Kumar Singh**, resident of **Village and Post - BaKhare, Police station - Patahe, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Bhartiya Aam Vikash Party**, Bihar in **20-Chiraiya** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/20/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 86.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 21- ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-21)ढाका-44 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **एम.डी. कासिम अंसारी** जो बिहार के **21- ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **एम.डी. कासिम अंसारी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **एम.डी.कासिम अंसारी**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **एम.डी. कासिम अंसारी**, द्वारा दिये गये पते पर उनके बड़े पिता से दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 107/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 121/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **एम.डी. कासिम अंसारी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **एम.डी. कासिम अंसारी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **21- ढाका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी **एम.डी. कासिम अंसारी, निवासी ग्राम+पो0-माधोपुर, पीएस- चिरैया, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/21/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 86.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020;

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **21-Dhaka** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-21) Dhaka-44, dated 04 January, 2021, **M.D. Kasim Ansari**, a contesting candidate of **Independent** of Bihar from **21-Dhaka** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **M.D. Kasim Ansari**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **M.D. Kasim Ansari** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his big father on 18th July, 2021, at the address given by **M.D. Kasim Ansari**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 107/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.121/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **M.D. Kasim Ansari**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **M.D. Kasim Ansari**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that—

“If the Election Commission is satisfied that a person —

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such

person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **M.D. Kasim Ansari**, resident of **Village+Post- Madhopur, PS - Chiraiya, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Independent**, Bihar in **21-Dhaka** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/21/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

आ.अ. 87.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी ;

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 21— ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-21)ढाका-44 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामकृत पासवान**, जो बिहार के **21— ढाका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **जन संघर्ष दल** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रामकृत पासवान**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रामकृत पासवान**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री रामकृत पासवान**, द्वारा दिये गये पते पर उनके पिता से दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 107/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 121/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री रामकृत पासवान**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत

निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामकृत पासवान, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **21- ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार जन संघर्ष दल के अभ्यर्थी श्री रामकृत पासवान, निवासी ग्राम+पो0- भंदर, पीएस- ढाका ओ.पी.पाचपकारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/21/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,
कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th May, 2022

O.N. 87.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **21-Dhaka** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **10th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **East Champaran**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-21)Dhaka-44, dated 04 January, 2021, **Shri Ramkrit Paswan**, a contesting candidate of **Sangharsh Dal** of Bihar from **21-Dhaka** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, East Champaran**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ramkrit Paswan**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Ramkrit Paswan** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his father on 18th July, 2021, at the address given by **Shri Ramkrit Paswan**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **East Champaran**, vide its letter no. 107/District.Nirva, dated 23 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, East Champaran**, in his Supplementary Report, vide its letter No.121/Nirva., dated 06 December, 2021 has reported that **Shri Ramkrit Paswan**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Ramkrit Paswan**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ramkrit Paswan**, resident of **Village+Post-Bhandar, Police station - Dhaka O.P. Pachapkari, District - East Champaran, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **Independent**, Bihar in **21-Dhaka** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/BR-LA/2020/21/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.